उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-1

संख्या- 25 / 2015 / 1647 / 22-1-15-30 / 2015

लखनऊ : दिनांक- 06 अक्टूबर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कारागार सुधार से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-24 / 2015 / 1646 / 22-1-15, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 द्वारा कारागार विभाग में दिनांक-29.02.2016 तक विशेष कार्याधिकारी का एक नि:सवंर्गीय अस्थायी पद सृजित किया गया है। उक्त पद पर श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी, सेवानिवृत्त, उप सचिव, कारागार विभाग को दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक निम्नलिखित सेवा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी को पुनर्योजन अवधि में अस्थायी सरकारी सेवक माना जायेगा।

2- पुनर्योजन की अवधि में श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी को वह नियत वेतन अनुमन्य होगा, जो उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्व पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को घटाने के बाद आये अथवा पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, इसमें जो भी कम हो, से अधिक न होगा। पुनर्योजन की अवधि में उन्हे शुद्व वेतन तथा पेंशन के योग पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा। पुनर्योजन की अवधि में पेंशन पर पृथक से मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।

3- श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी को उक्त अवधि में वित्त नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अस्थायी अधिकारियों की भॉति अवकाश देय होगा, परन्तु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य नहीं होगा।

4- उक्त अवधि की गणना पेंशन के लिए नहीं की जायेगी तथा पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5- उक्त अवधि में श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता उनके वेतन व शुद्व पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे, जैसा कि यात्रा भत्ता नियम-16ए में प्राविधान है, अन्तिम आहरित वेतन के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे।

6- श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी को उक्त अवधि में अस्थायी तदर्थ पेंशन की वृद्वि व राहत, यदि कोई हो, अनुमन्य नहीं होगी।

7- उक्त नि:संवर्गीय पद की प्रास्थिति उप सचिव पद के समकक्ष होगी और श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी को वही सुविधाएं अनुमन्य होंगी, जो उन्हे सेवानिवृत्त के समय अनुमन्य थी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-78 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सविचालय-03-सचिवालय" के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- सा-3-1053/दस-15, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

एस0के0रघुवंशी
सचिव

संख्या-25/2015/1647(1)/22-1-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, कार्मिक, उ0प्र0 शासन।
5- राज्य सम्पत्ति अधिकरी, उ0प्र0 शासन।
6- इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
9- निदेशक, पेंशन निदेशालय, लखनऊ।
10- कारागार विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/उप सचिव/अनु सचिव।
11- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5/12 एवं वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
12- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7/8/9(विविध)
13- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1/बजट सेल।
14- गृह(पुलिस) अनुभाग-8/गृह(पुलिस) अनुभाग-8(लेखा)।
15- कारागार अनुभाग-1/2/3/4
16- सम्बन्धित अधिकारी।
17- अनुभाग आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(एस0के0रघुवंशी)
सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in